रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122024-259342
CG-DL-E-11122024-259342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4962] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2024/अग्रहायण 20, 1946
No. 4962] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024/AGRAHAYANA 20, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2024

का. आ. 5361(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के पहली अनुसूची के मद 6 के अधीन आने वाले ऐसे उद्योग की सेवाएँ, जो खाद्य पदार्थ में लगे हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1939(अ), तारीख 7 मई, 2024 द्वारा तारीख 9 मई, 2024 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अब, अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित ऐसा करना अपेक्षित है, ऐसे उद्योग की सेवाएँ, जो खाद्य पदार्थ में लगे हुए हैं, सेवाओं को,कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है, ऐसे उद्योग की सेवाएं, जो खाद्य पदार्थों में लगे हुए हैं, सेवाओं को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/07 /2024 -आईआर (पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2024

S.O. 5361(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in Food stuffs, which is covered under item 6 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of 9th May, 2024, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 1939(E), dated the 7th May, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the said industry is declared as public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause(vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services of the industry engaged in Food stuffs to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. S-11017/07/2024-IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.11 19:39:03 +05'30'